<u>प्रेस-नोट</u>

<u>थाना रक्सा</u>

<u>दिनाँक-01.09.2024</u>

<u>रॉयल बेकरी की दुकान पर फायरिंग से संबंधित एक अभियुक्त को अवैध असलहा-कारतूस के साथ थाना रक्सा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना रक्सा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रक्सा रॉयल बेकरी की दुकान में जान से मारने के प्रयास में चलायी गयी गोली के वाँछित अभियुक्त को आज दिनांक 01.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा-कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं शस्त्र बरामदगी के आधार पर थाना रक्सा पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.08.2024 को कस्बा रक्सा मे रॉयल बेकरी की दुकान पर एक मोटरसाइकिल पल्सर पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से की गयी फायरिंग में वादी के पैर में गोली लग जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29.08.2024 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 216/2024 धारा 109 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 01.09.2024 को विवेचना के क्रम मे थाना रक्सा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त मे नामित वाँछित अभियुक्त को पुनावली रोड नहर पुल थाना रक्सा जिला झाँसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल 32 बोर व एक अदद कारतूस 32 बोर बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर 3/25 आयुध अधिनियम की धारा की बढोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

शिवम दुबे पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम चिरूला थाना चिरूला जनपद झाँसी, उम्र करीब 19 वर्ष

<u>अभियुक्त की गिरफ्तारी का स्थान व दिनाँक-</u> पुनावली रोड नहर पुल थाना रक्सा जिला झाँसी, दिनाँक 01.09.2024 समय 15.28 बजे

<u>बरामदगी अभियुक्त से-</u>

एक पिस्टल 32 बोर व एक अदद कारतूस 32 बोर तथा घटना में पल्सर बाइक

<u>गिरफ्तार / सहयोग करने वाली टीम थाना रक्सा -</u>

1.श्री परमेन्दर कुमार सिंह थानाध्यक्ष रक्सा जनपद झाँसी

2. उ0नि0 श्री शिवकुमार चौकी प्रभारी डोंगरी थाना रक्सा जनपद झाँसी

3. उ0नि0 ओमवीर पाल थाना रक्सा जनपद झाँसी

4. का0 1724 पुष्कर सिंह थाना रक्सा जनपद झाँसी

5. का0 459 विजयकरन जनपद झाँसी

6. का0 चालक विजय कुमार जनपद झाँसी